

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यीडा / यूपीसीडा / यूपीडा / गीडा / सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2024

विषय-फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-54 / 2023 / 3452 / 77-6-2023-02(एम) / 2022, दिनांक 01 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आकर्षित करने एवं प्रदेश को सर्वोत्तम निवेश गन्तव्य स्थापित करने के दृष्टिगत फॉर्च्यून-500 / एफ0डी0आई0 कम्पनियों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन हेतु "फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023" का प्रख्यापन किया गया है।


2- शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त "फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023" में निम्नवत् संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

- i. "फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023" को "फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023" कहा जाएगा।

- ii. फॉरेन कैपिटल इनवेस्टमेंट (FCI) के रूप में इक्विटी में निवेश करने वाली विदेशी कम्पनी के निवेश के साथ प्रिफरेंश शेयर, डिबेंचर्स, एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोईंग, स्टैण्डबाई लैटर ऑफ क्रेडिट, लैटर्स ऑफ गैरेंटी व अन्य डेब्ट सिक्क्योरिटी द्वारा किया गया निवेश शामिल होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मोड, जो आर0बी0आई0 के द्वारा फ्रेमवर्क ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोईंग, ट्रेड क्रेडिट, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन्स (as per Circular No-RBI/FED/2018-19/67, दिनांक 26.03.2019 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत किए गए निवेश रु. 100 करोड़ के विदेशी निवेश की गणना के लिए अर्ह होंगे। उपरोक्तानुसार विदेशी निवेशक कम्पनी द्वारा किये गए फॉरेन कैपिटल इनवेस्टमेंट (FCI) राशि (जिसमें इक्विटी में न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा शेष ऋण व अन्य इन्स्ट्रूमेंट के माध्यम से मिलाकर रु. 100 करोड़ का निवेश) को इस नीति के अन्तर्गत पात्र माना जाएगा तथा पूँजी निवेश की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
- iii. पालिसी के अंतर्गत फ्रंट एण्ड लैण्ड सब्सिडी औद्योगिक प्राधिकरणों की भूमि पर ही देय है एवं इलिजिबल कैपिटल इनवेस्टमेंट (ECI) में इस राशि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि "फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी. आई), विदेशी पूँजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023" द्वारा स्थापित होने वाली परियोजनायें ऐसी भूमि पर नहीं हैं जो कि औद्योगिक प्राधिकरणों की हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ भूमि की लागत को इलिजिबल कैपिटल इनवेस्टमेंट (ECI) में शामिल किया जा सकेगा।

3- शासन के पत्र संख्या-54/2023/3452/77-6-2023-02(एम)/2022, दिनांक 01 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित नीति को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। नीति के अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

५

संख्या- / 2024 / 27220 / 77-6-2024-02(एम) / 2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष वर्मा)  
विशेष सचिव।